वस्तुओं का वर्ष वार और वस्तु-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस वर्ष सभी वस्तुओं का कम आबंटन किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह आबंटन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की संख्या, पिछड़ेपन, गरीबी अथवा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यदि हां, तो इन मानदण्डों का अनुपालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालूदीन अहमद) : (क) 1990, 1991 और 1992 में गुजरात को किया गया चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का आबंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिये**) :

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिनमें गुजरात शामिल है, थोक में खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में समग्र भण्डार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं तथा मौसमजन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। लेवी चीनी का आबंटन आम तौर पर 1.10.1986 को अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मापदण्ड के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिनमें गुजरात शामिल है, अगस्त, 1991 से लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इनका प्रयोजन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची जरूरत को पूरा करना नहीं होता। यह कार्य राज्य सरकारों का है कि वे संगत बातों पर विचार करते हुए राज्य के भीतर विभिन्न जिलों/क्षेत्रों को परस्पर आबंटन करें।

विवरण

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2305, जिसका उत्तर 15-3-1993 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

1990, 1991 और 1992 में गुजरात को किये गये चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल के आवंटन ।

वस्तुएं	आबंटन (हजार मी० टन में)		
	1990	1991	1992
चावल	330.00	324.00	330.40
गेहूं	725.00	944.30	780.30
लेवी चीनी	199.16	203.21	208.88
आयातित	80.45	10.30	9.15
मिट्टी का तेल	777.66	779.14	777.80

Curtailment of Public Disrtibution System

2306. SHRI B. K. HARIPRASTD: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are seriously considering curtailment of Public Distribution System thereby restricting the subsidy only to the poorer sections of the society;

(b) if so, whether this is due to expected shortfall in production and procurement of foodgrains in the forthcoming Rabi season; and

(c) what is the expected shortfall in foodgrain production at the and of the Eighth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE

MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) In the 14th meeting of the Advisory Council on Public Distribuion System (PDS) held in July, 1992 State Governments|U.T. Administrations requested that a National Policy on PDS should be evolved so that the benefits of the PDS are restricted to to the needy and the deserving sections of the population. While this issue including the possibility of exclusion of certain categories of consumers is being examined, the current policy of the Central Government is that PDS is universal.

(b) No, Sir.

(c) The target for total foodgrain production during the end year of the Eighth Five Year Plan is 210 million tonnes. On this basis no shortfall is envisaged at present.

देश में तिलहनों का कम उत्पादन

2307. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्तामा मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य तेल का उत्पादन करने वाले उद्योगों का आधुनिकीकरण नहाने के कारण भारत में अन्य देशों की तुलना में कम खाद्य तेल तैयार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में तथा अन्य विकासशील देशों में तिलहनों से तैयार किये जाने वाले तेल की मात्रा का आनुपातिक अन्तर कितना है ;

(ग) क्या देश में उगाये जाने वाले तिलहनों में पर्याप्त मात्रा में तेल होता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उद्योपगपतियों द्वारा इस विषय में अनुसंधान करने और नई प्रणाली अपनाये जाने को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) देश में तिलहनों का निर्यात कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) और (ख) जी नहीं। यद्यपि कुछ मामलों में खानी में बकाया तेल-तत्व 14 प्रतिशत तक के उच्च स्तर पर हो सकता है, तथापि खनी में औसतन तेल तत्व 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत के आस-पास होता है यह अन्य देशों में किए जाने वाल उत्पादन से विशेष भिन्न नहीं है ।

(ग) किसी तिलहन को तेल-तत्व मूल के रूप से जैविकीयता हैं और विभिन्न देशों में उगाए जाने हवाले तिलहनों के तेल-तत्ववों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता हैं ।

(घ) कृषि विश्वविद्यालयों तथा शीष निकाय के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किये जा रहे अनुसंधान कार्य को समर्थन देने के अलावा सरकार ने अनेक कदम भी उठाये हैं जैसे—परिसर में (इन हाऊस) अनुसंधान व विकास एकक स्थापित करने के लिये उदार प्रोत्साहन देना राजकोषीय प्रोत्साहन देना, जिनमें देश में अनुपलब्ध कुछ उपकरणों के लिये, जिन्हें प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिये आवश्यक समझा जाता है, आयात करने हेतु प्रोत्साहन देना शामिल है, आदि।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।